न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

निगरानी संख्या 03/12

तारीख रजू– 24/02/2012

शंकर पुत्र श्री रामनिवास जाति शर्मा निवासी खण्डार जिला सवाईमाधोपुर। ––प्रार्थी

बनाम

1– ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति नाई निवासी खण्डार तहसील खण्डार।
2– ग्राम पंचायत खण्डार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खण्डार।

––अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक–01/02/2016

प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा पत्रावली संख्या 388 निर्णय दिनांक 15/09/90 की पालना मे जारी पटटा दिनांक 07/10/90 जो अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे 65 वाई 42.5 फुट कुल 307 वर्गगज का जारी किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की है व जारी किये गये उक्त पटटे को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश अमल मे लाये गये। अदालत मातहत की पत्रावली बाबत सरपंच ग्राम पंचायत खण्डार के पत्र कमांक 31 दिनांक 04/12 व 378 दिनांक 31/08/12 से यह सूचना प्राप्त होने पर कि पचांयत रिकार्ड मे उक्त पत्रावली मिल नही रही है पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के भाई की पत्नि श्रीमती देवी को पंचायत ने 8X8 गज का पटटा जारी किया था उस पटटे मे रास्ता पश्चिम दिशा की ओर दर्शाया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को 07/10/90 को जारी पटटा इस रास्ते की जगह पर जारी किया गया है जो अवैधानिक है। अतः पटटा निरस्त किया जावे क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 फर्जी पटटे के आधार पर प्लाट पर कब्जा करने के प्रयास मे है।

अप्रार्थीगण की ओर से स्वंय अथवा कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही होने पर पत्रावली को गौर किया। यह वाद चल चुका है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क.ख.) खण्डार मे अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश का वाद संख्या 16/2002 इसी पटटे के बाबत उसके पक्ष मे डिग्री हो चुका है। प्रार्थी उक्त वाद मे पक्षकार नही था लेकिन उस वाद मे भी निगरानी मे उठायी गई आपत्ति के बारे मे विवेचन है इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा उसी आधार पर निगरानी दायर की है। निगरानी के लिये कोई विचारणीय बिन्दु भी नही है। यदि उक्त पटटा विधिवत जारी नही हुआ है तथा प्रार्थी का हित प्रभावित है तो उसे अपील करनी चाहिये थी। पटटा फर्जी है तो संबंधित के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाहिये थी। सिविल वाद के निष्कर्ष आ चुके है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01/02/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर